विविध बैंक प्रकरण सं. 08/2021 (RCMS 2021/17) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा साधुवाली जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री मनोज कटारिया, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, डी.एस.एच., प्रथम तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर **बनाम 1. मैसर्स प्रिया साडी सेंटर और क्लोथ स्टोर** – प्रो. श्री तेजपाल शर्मा पुत्र श्री ब्रिज लाल शर्मा निवासी वार्ड नं. 08, चक 1 डी, साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर **2. श्री रामकुमार पुत्र श्री शंकर लाल** निवासी वार्ड नं 08, चक 1 डी, साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 28.01.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स प्रिया साड़ी सेंटर और क्लॉथ स्टोर – प्रो. श्री तेजपाल शर्मा एवं श्री राम कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 7.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये सात लाख मात्र) का ऋण दिनांक 27.06.2016 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी फर्म मैसर्स प्रिया साड़ी सेंटर और क्लॉथ स्टोर – प्रो. तेजपाल शर्मा द्वारा अपना दृष्टि बंधक रखा गया स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रू[illegible] का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता [illegible] को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 20.08.2020 को 8,51,149/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिवस का नोटिस दिनांक 21.08.220 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी मैसर्स प्रिया साड़ी सेंटर और क्लॉथ स्टोर –प्रो. तेजपाल शर्मा एवं राजकुमार **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक रखा स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतियों** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स प्रिया साड़ी सेंटर और क्लॉथ स्टोर–प्रो. तेजपाल शर्मा एवं राजकुमार को 7.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये सात लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 27.06.2016 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी मैसर्स प्रिया साड़ी सेंटर और क्लॉथ स्टोर – प्रो. श्री तेजपाल शर्मा **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा गया स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपत्तियां** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **27.09.2019 को अनर्जक सम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 21.08.2020 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.09.2020 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी **मैसर्स प्रिया साड़ी सेंटर एवं क्लॉथ स्टोर – प्रो. तेजपाल शर्मा की दृष्टि बंधक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान सम्पत्तियां** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 21.08.2020 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 21.08.2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण **मैसर्स प्रिया साड़ी सेंटर और क्लॉथ स्टोर – प्रो. तेजपाल शर्मा एवं राम कुमार** को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.09.2020 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है। अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **अप्रार्थी मैसर्स प्रिया साड़ी सेंटर और क्लॉथ स्टोर–प्रो. तेजपाल शर्मा पुत्र श्री ब्रिजलाल शर्मा, वार्ड नं. 08, चक 1 डी साधुवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर** के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सभी संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा साधुवाली का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2021 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखा गया **मैसर्स प्रिया साडी सेंटर और क्लॉथ स्टोर – प्रो. तेजपाल शर्मा के स्टॉक का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:50 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर